राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिराव फूले सर्किल, नया बास अलवर, 301001 (राज0)

तथ्यात्मक रिपोर्ट

(Diversion of 0.05 Ha. Forest Land for Water Supply Scheme Village Sonkhri District Alwar in Favour of PHED)

प्रस्ताव संख्या एफ.पी./आर.जे./वाटर/15016/2015 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन होने के क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय–विशेषाधिकारी से प्राप्त शिकायत उप वन संरक्षक (वन सुरक्षा), राज0 जयपुर के पत्रांक 188 दिनांक 29.05.2015 से प्राप्त प्रकरण की अनुगामी कार्यवाही के तहत सर्वप्रथम दिनांक 09.06.2015 को इस कार्यालय के पत्रांक 4943 दिनांक 09.06.2015 से क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ को वन भूमि प्रत्यावर्तन के नियमों का उल्लंघन कर वन भूमि में संदर्भित कार्य करने के लिए जलदाय विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य रूकवाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपने पत्रांक 639 दिनांक 02.07.2015 द्वारा अवगत कराया कि "दिनांक 11.06.2015 को मौके पर ठेकेदार द्वारा रात्रि में एक टंकी का निर्माण करता हुआ मिला। मौके पर ही ठेकेदार को वन भूमि पर टंकी निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया एवं मौके पर कार्यरत श्रमिकों को भी वन विभाग की भूमि पर कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। मौके पर ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया हैं तथा मौके पर टंकी निर्माण सामग्री, औजार इत्यादि को ठेकेदार भरकर ले गया। कार्य पूर्णतया बन्द हो गया है। मौके पर किसी प्रकार का पहाड व पेड पौधे नहीं काटे गये हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही दूरभाष द्वारा सम्पर्क करके वन विभाग की भूमि पर टंकी निर्माण नही करने हेतु सूचित कर दिया गया है। कार्य पूर्णतया बन्द होने पर पंचनामा मौके पर बनाया गया।" प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर आज दिनांक तक टंकी निर्माण कार्य बन्द है।

प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन होने के फलस्वरूप उल्लंघनकर्ता श्री महेन्द्र यादव, ठेकेदार ग्राम पोस्ट किशनगढ रेनवाल, जयपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं. 11/24 दिनांक 14.06.2018 दर्ज की जाकर दर्ज प्रकरण में संबंधित ठेकेदार से रूपये राशि 5100/– जरिये रवन्ना सं. 15/33 दिनांक 20.07.2018 वसूल की जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

(डॉ. ए. एन. गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
अलवर

Scanned with CamScanner